प्रेसनोट – 08.09.2026

अपहरण व पाक्सो एक्ट के मामले में वांछित एक नफर बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री दिनेश दत्त मिश्र के कुशल निर्देशन में थाना हलधरपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 08.09.2026 को चमड़ा गोदाम नहर पुलिया के पास से मु0अ0सं0- 180/2026 धारा 87, 137(2), 65(1) बी.एन.एस. (BNS) व धारा 5L/6 पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) थाना हलधरपुर जनपद मऊ से सम्बन्धित एक नफर बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। बाल अपचारी अपरोक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0 180/2026 धारा 87, 137(2), 65(1) बी.एन.एस. (BNS) व धारा 5L/6 पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता

1. एक नफर बाल अपचारी।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1.दिनांक- 08.09.2026

2.स्थान- चमड़ा गोदाम नहर पुलिया के पास।

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में वांछित एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में थाना सरायलखंसी पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 08.09.2026 को ग्राम रकौली सरायलखंसी से मु0अ0सं0- 248/2026 धारा 108 बी.एन.एस. थाना सरायलखंसी जनपद मऊ से सम्बन्धित एक नफर अभियुक्त सत्यप्रकाश यादव उर्फ पिन्टू पुत्र स्व0 स्वामीनाथ यादव निवासी ग्राम रकौली थाना सरायलखंसी जनपद मऊ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0- 248/2026 धारा 108 बी.एन.एस. थाना सरायलखंसी जनपद मऊ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता

1. सत्यप्रकाश यादव उर्फ पिन्टू पुत्र स्व0 स्वामीनाथ यादव निवासी ग्राम रकौली थाना सरायलखंसी जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1.दिनांक- 08.09.2026

2.स्थान- ग्राम रकौली सरायलखंसी।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक- 08.09.2026 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग- अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी /बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण

1.थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त मनोज मिश्रा पुत्र उमाशंकर मिश्रा निवासी ग्राम नईबस्ती मुंशीपुरा, थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ।

2.थाना रानीपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त विनोद राजभर पुत्र रामलाल राजभर निवासी ग्राम पलिया, थाना रानीपुर, जनपद मऊ।

अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक 08.09.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया

इस अभियान के अंतर्गत 34 टीम गठित कर जनपद के 34 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1380 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 584 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान व 06 वाहनो को सीज किया गया, साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा पीडित का फ्रॉड हुआ कुल धनराशि- 10,012/- (दस हजार बारह रूपया) पीडित को वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के

कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मुहम्मदाबाद गोहना साइबर पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 08.09.2026 को पीड़ित /आवेदिका गुड्डी प्रजापति पुत्र अनिल प्रजापति निवासी ग्राम बन्दीकला थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ के खाते से यूपीआई के माध्यम से फ्राड की गयी कुल धनराशि- 10,012/- (दस हजार बारह रूपया) MRM PORTAL के माध्यम से साइबर पुलिस टीम जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें । साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा गुम/खोये हुए कुल 01 अदद मोबाइल फोन कीमत लगभग- 16,999/- वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मुहम्मदाबाद गोहना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 08.09.2026 को गुम/ खोये हुए 01 अदद मोबाइल फोन आवेदक मुन्ना लाल पुत्र स्व भोलानाथ निवासी मीरपुर रहीमाबाद थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ का redmi कम्पनी का फोन कीमत- 16,999/- (सोलह हजार नौ सौ निन्यानवे रूपया) को सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से उसके मालिक को तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

#ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गैर कानूनी समूह द्वारा दंगा कर हत्या करने वाले 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व मु0 14 – 14 हजार रूपये के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित।

पुलिस महानिदेशक उ०प्र० के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मु0अ0सं0- 421/2009, 964/2009, 526/2009 धारा- 147,148,302,149 भादवि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवानी नगर जनपद मऊ की साक्ष्यपरक विवेचना एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 08.09.2026 को मा0 न्यायालय एएसजे II, जनपद मऊ द्वारा गैर कानूनी समूह द्वारा दंगा कर हत्या करने वाले अभियुक्तगण क्रमशः 1.शाहिद उर्फ डिस्को उर्फ तकल्लुफ पुत्र मोहम्मद ताहिर, निवासी छीतनपुर थाना कोतवाली जनपद मऊ को आजीवन कारावास की सजा व मु0 13 हजार रूपए का अर्थदंड से तथा 2. गुड्डू पुत्र इम्तियाज निवासी छीतनपुर थाना कोतवाली जनपद मऊ,व 3. अशफाक उर्फ मिट्टू पुत्र हाफिज मुस्ताक निवासी अलीनगर थाना कोतवाली जनपद मऊ को आजीवन कारावास की सजा व मु0 14 – 14 हजार रूपए का अर्थदंड से दण्डित किया गया।

प्रेस नोट
जनपद मऊ
दिनांक : 08.09.2026

☐ वारण्टी एवं वांछित अभियुक्तों पर मऊ पुलिस का शिकंजा
☐ 07 दिवसीय विशेष अभियान में बड़ी कार्रवाई
☐ 36 वारण्टी, 02 पुरस्कार घोषित एवं 11 वांछित समेत कुल 49 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मऊ *श्री कमलेश बहादुर* के निर्देशन में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत वारण्टों के शत-प्रतिशत अनुपालन एवं वारण्टी/वांछित/पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद में 07 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों की पुलिस टीमों द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए विभिन्न मुकदमों में मा0 न्यायालय से निर्गत वारण्टों के आधार पर *कुल 36 नफर वारण्टी*, *02 पुरस्कार घोषित* तथा *11 नफर वांछित* अभियुक्तों सहित *कुल 49 अभियुक्तों* को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए उन्हें मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

थाना-वार गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण
कोतवाली नगर- 4
दक्षिणटोला- 2
सरायलखंसी- 5
घोसी- 6

दोहरीघाट- 6
कोपागंज- 4
मुहम्मदाबाद - 3
चिरैयाकोट- 2
रानीपुर- 5
मधुबन- 8
हलधरपुर- 2
रामपुर- 2
कुल 49

मऊ पुलिस का स्पष्ट संदेश-
मा0 न्यायालय से निर्गत वारण्टों के अनुपालन एवं विभिन्न अभियोगों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर मऊ पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है । अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई का यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।